



पशुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com



Dated: 27.06.2018

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No: F. (01) / RAJUVAS / Reg./Estt. 1 / 2018/ 496

प्रोफेसर (डॉ.) जी.सी. गहलोत,
नोडल ऑफिसर,
पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय,
बीकानेर

विषय:-राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, जयपुर से प्राप्त परिपत्र संख्या एफ.
1(7)आर.बी./2018/4928 दिनांक 19.06.2018 को विश्वविद्यालय की
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालयों में की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में माननीय
राज्यपाल महोदय तथा कुलाधिपति महोदय, राजस्थान जयपुर के कार्यालय से प्राप्त परिपत्र
संख्या एफ.1(7)आर.बी./2018/4928 दिनांक 19.06.2018 की प्रतिलिपि संलग्न कर निर्देशानुसार
लेख है कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा उक्त परिपत्र के पृष्ठांकन संख्या 12 में प्रदान किए गए
निर्देशों की अनुपालना में उक्त परिपत्र राजस्थान पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर की वेबसाईट पर तत्काल प्रदर्शित कराने का कृपया श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय
Shad
(हेमन्त दाधीच)
कुलसचिव
27/6/18

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को माननीय
कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक: एफ.1(7)आरबी/2018/4928

दिनांक 19 जून, 2018

परिपत्र

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षिक पदों पर नियुक्तियां एक निरन्तर प्रक्रिया है। उक्त नियुक्तियों हेतु The Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act 1974 (Act No. 18 of 1974) एवं समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों अनुरूप गठित चयन समिति सदस्यों की उपस्थिति के संबंध में राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 1343 दिनांक 14.2.2018 का संदर्भ लेवे। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के स्तर पर भविष्य में की जाने वाली भर्तियों के संबंध में माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन)

अधिनियम, 1974 के प्रावधानों की पालना :-

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 की धारा 5 एवं 6 में कमशः चयन समिति का गठन एवं प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना;

2. वर्षवार निर्धारित रिक्तियों का निर्धारण व सूचना का प्रसार :-

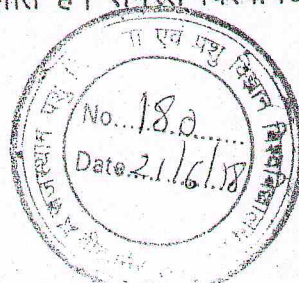
वर्षवार रिक्तियों का संकलन किया जावे तथा नियमानुसार उन निर्धारित रिक्तियों की अद्यतन सूचना का नियमानुसार व्यापक-प्रचार-प्रसार सहित विश्वविद्यालय वेबसाईट पर भी प्रदर्शन किया जाना;

3. चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बाबत संबंधित नियामक संस्था/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना :-

यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय उनसे संबंधित नियामक संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम योग्यताओं को अंगीकार नहीं करके पुराने नियमों/योग्यताओं के अनुसार चयन प्रक्रिया को अमल में लाते हैं। समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा नवीनतम

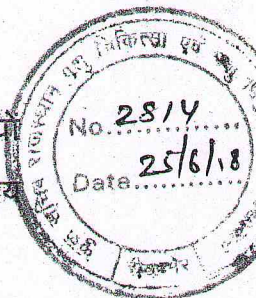
कुललचिव

21/6/18



✓ [Signature] /RTL/Land Revenue

21/6/18
Registrar



न्यूनतम निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप स्टेट्यूट्स/ऑर्डिनेस में संशोधन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तावित किया जावे।

4. आरक्षण रोस्टर नियमों की पालना :-

विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर नियमों की नियमानुसार पालना की जावे।

5. नियुक्तियों में पारदर्शिता :-

विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में योग्य अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार में अपनाई जाने वाली पद्धति/प्रक्रिया में पारदर्शिता की अनुपालना की जावे;

6. चयन समिति के सदस्यों को बैठक के आयोजन बाबत पर्याप्त समय पूर्व सूचित किया जाना एवं agenda का circulation किया जाना :-

पदवार नियुक्ति प्रक्रिया में चयन समिति के सदस्यों को बैठक के आयोजन बाबत उचित माध्यमों यथा रजिस्टर्ड पत्र, ई-मेल, SMS, Fax, दूरभाष आदि के माध्यम से पर्याप्त समय पूर्व सूचित किया जावे एवं agenda प्रेषित किए जाएं ;

7. चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति :-

चयन समिति में विभिन्न प्राधिकारियों यथा कुलाधिपति/राज्य सरकार/सिंडीकेट/BOM आदि द्वारा नामित सदस्यों द्वारा चयन समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं होने पर कारण पूछा जावे एवं अनुपस्थिति की दशा में संबंधित नामिती प्राधिकारियों को सूचित किया जावे;

8. न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना :-

माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई निर्देश दिये गये हैं तो उनकी नियमानुसार अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

ह०/-

(देवाशीष पृष्ठी)

सचिव

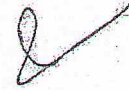
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक: एफ.1(7)आरबी / 2018 / 4929

दिनांक 19 जून, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास, युवा मामलात एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. शासन सचिव, श्रम रोजगार, कौशल एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
12. कुलसचिवगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान को इस निर्देश के साथ कि परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करावें।
13. रक्षित पत्रावली



विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा